न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः— सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः— 29/2023 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2023/33)

विजयगिरी पुत्र श्री वसन्तगिरी जाति गुसाई निवासी ग्राम शकरातोर थाना मनिया जिला धौलपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

.....रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 28.06.2016 उनवानी सरकार बनाम विजयगिरी बाबत निरस्त करने शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 71/84

उपस्थितिः—

श्री पंकज कुमार वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः 23.10.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 28.6.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट विजयगिरी द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 71/1984 जो कि दिनांक 31.12.2015 तक नवीनीकृत था, को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 5.1.2016 को तहत अदालत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अपीलान्ट के आवेदन पत्र पर जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से रिपोर्ट चाही गई। जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 09.03.2016 के द्वारा अवगत कराया कि आवेदक यानि अपीलान्ट के खिलाफ थाना हाजा पर मुकदमा नम्बर 251/05 धारा 141, 323, 341, 336 आईपीसी व मु0नं0 215/12 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 283 आईपीसी व 3 पीडीपीपी एक्ट थाना कोतवाली में दर्ज है। उक्त दोनो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। अतः विजयगिरी/अपीलान्ट के शस्त्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई। जिसके आधार पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.06.2016 पारित करते हुये अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट उपस्थित। नियत दिनांक को वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2016 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि

अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 251/05 जिसका कि निर्णय में उल्लेख किया गया है। दिनांक 16.03.2007 को निर्णित हो चुका था। इसमें अपीलान्ट को बरी किया गया था। इसी प्रकार संख्या 215/12 मे भी अपीलान्ट द्वारा बन्दूक का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया। मात्र शपथ पत्र में अंकन नहीं करने को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि उचित नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण का पूर्व में ही निस्तारण हो चुका था। जिसमें अपीलान्ट को वरी किया गया था। इसलिए अपीलान्ट की ओर से शपथ पत्र में उक्त प्रकरण का उल्लेख नहीं किया गया और न ही इसकी आवश्यकता ही थी। इसलिए शपथ पत्र में आपराधिक प्रकरण को दर्ज नहीं किये जाने के कारण अनुज्ञा पत्र को निरस्त किये जाने का आधार बनाया जाना विधिविरूद्ध है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज अन्य प्रकरण संख्या 215/12 में भी अपीलान्ट को दिनांक 11.12.2021 को वरी किया जा चुका है। इसलिए भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2016 निरस्तनीय है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 71/84 काफी पुराना है। अपीलान्ट के विरूद्ध अपने शस्त्र के दुरूपयोग बाबत कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में आज दिनांक तक दर्ज नहीं हुआ है और ना ही अपीलान्ट के चाल चलन के बाबत कोई शिकायत किसी थाने में दर्ज हुई है। तहत अदालत ने इस तमाम तथ्यों पर कोई गौर नहीं करते हुये केवल सरसरी तौर पर अपीलधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। मियाद के संबंध में वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है, जिसे कानूनी प्रावधान की जानकारी नहीं थी। दिनांक 11.12.2021 को प्रार्थी को प्रकरण संख्या 215/12 में वरी किये जाने के बाद प्रार्थी/अपीलान्ट ने अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल करने हेतु कई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट की ओर से प्रार्थी/अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल नहीं किये जाने पर दिनांक 27.2.2023 को प्रार्थी/अपीलान्ट को अपने अभिभाषक से अपील करने की कानूनी सलाह मिली। इस पर प्रार्थी/अपीलान्ट ने दिनांक 01.03.2023 को नकल के लिये आवेदन किया नकल मिलने पर यह अपील मिलने कानूनी सलाह पर मियाद प्रस्तुत की गई है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2016 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या 71/84 को बहाल किये जाने के आदेश दिये जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 28.06.2016 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 13.03.2023 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर उक्त अपील को मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया गया है। ऐसी

स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय के संबंध में दिनांक 27.02.2023 को अपील करने की कानूनी सलाह मिलने तथा अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त होने के बाद अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख करते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने की इस्तदुआ की गई है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का न तो रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व अपीलाधीन निर्णय की जानकारी रही हो। इसके अलावा माननीय राजस्व मण्डल तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गय हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दुओं पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्ट की ओर से अपना अनुज्ञा पत्र को नवीनीकृत किये जाने बाबत दिनांक 05.01.2016 को जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के कार्यालय में आवेदन पत्र पेश किया गया। उक्त आवेदन पत्र पेश होने पर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पुलिस अधीक्षक धौलपुर से पत्र दिनांक 08.02.2016 के द्वारा अपीलान्ट/प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को नवीनीकृत किये जाने के बारे में रिपोर्ट चाही गई। पुलिस अधीक्षक धौलपुर के द्वारा पत्र दिनांक 09.03.2016 के द्वारा यह अवगत कराया गया कि आवेदक के विरूद्ध मुकदमा नंबर 251/05 अन्तर्गत धारा 141, 323, 341, 336 आई.पी.सी. व मुकदमा नंबर 215/12 धारा 147, 148, 149, 332, 353, 283 आई.पी.सी व 3 पीडीपीपी एक्ट पंजीबद्ध है। उक्त दोनों प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई। पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी को आयुध अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पत्र कमांक 5475–77 दिनांक 05.05.2016 जारी किया गया। जिसमें पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का उल्लेख कर नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस में जवाब प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई। उक्त नोटिस के जवाब में अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के कार्यालय में इस आशय का जवाब पेश किया गया कि प्रकरण संख्या 251/05 में अपीलान्ट/प्रार्थी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग संख्या 2 द्वारा दिनांक 16.03.2007 को दोष मुक्त किया जा चुका है तथा प्रकरण संख्या 215/12 न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी की अनविक्षा चल रही है। अतः जवाब रिकार्ड पर लिया जाकर अनुज्ञा पत्र नवीनीकृत किया जावे। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलान्ट प्रार्थी का जवाब पेश होने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक

28.06.2016 को पारित किया गया। जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रार्थी ने अपने जवाब की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में उसके खिलाफ न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक प्रकरणों के तथ्यों को छिपाने, आवेदक के आपराधिक चरित्र एवं शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुए कानून व्यवस्था एवं लोकशान्ति बनाए रखने हेतु लोकहित में आयुध अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलान्ट/प्रार्थी के अनुज्ञा पत्र संख्या 71/84 को निरस्त किये जाने का आदेश दिया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है, क्योंकि उक्त आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया है। जहां तक वकील अपीलान्ट का यह तर्क कि अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों में अपीलान्ट को दोषमुक्त किये जाने के कारण शपथ पत्र में आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने का उल्लेख किया गया था तथा शपथ पत्र में आपराधिक प्रकरण लम्बित होने का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है तो अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक के उक्त तर्क से हम सहमत नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में स्वयं के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं होना बताया गया था। जबकि पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट/प्रार्थी के विरूद्ध दो आपराधिक प्रकरण संख्या 251/05 व 215/12 दर्ज थे। अपीलान्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब दिनांक 06.06.2016 में प्रकरण संख्या 251/05 में दोषमुक्त किये जाने का उल्लेख किया गया था, परन्तु जवाब के साथ दोषमुक्त किये जाने के निर्णय की प्रति संलग्न नहीं की गई थी तथा प्रकरण संख्या 215/12 न्यायालय में विचाराधीन होना बताया गया था। उक्त आपराधिक प्रकरण का शपथ पत्र में उल्लेख नहीं किये जाने के बारे में कोई जवाब अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से नहीं दिया गया। किसी भी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने/नवीनीकरण करने वाले प्राधिकारी के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये जावें। चूंकि अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से उसके पक्ष में जारी अनुज्ञा पत्र संख्या 71/84 में दर्ज हथियार को नवीनीकृत करवाए जाने बाबत जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के कार्यालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र में सही तथ्य अंकित नहीं किये हैं। इसलिए जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2016 को पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैद्यानिकता या अनियमितता नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 23.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल शर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर